

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.12.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-16 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मिथुन उर्फ मुकेश पुत्र राम भरोसे नि0 रूपईडीहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद मु0अ0सं0-304/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. निर्मेश पुत्र पारस नि0 ओझनपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-510/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेन्द्र पुत्र कल्लू नि0 कोरी पुरवा उम्मेदजोत थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-997/20, 02. महेश पुत्र कन्हई नि0 कोरी पुरवा उम्मेदजोत थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-998/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस ने दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त मनीष यादव पुत्र घनश्याम नि0 चटकनवाँ थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को थाना खोड़ारे में पंजीकृत मु0अ0सं0-310/230, धारा 376.506 भादवि व 3(2)(5) एस0सी0एस0टी0 एकट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना खोड़ारे क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ शौच के दौरान दुष्कर्म किया था तथा किसी को बताने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें खोड़ारे पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दहेज हत्या के आरोप मे 01 अभियुक्ता गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को0 मनकापुर पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी अभियुक्ता श्रीमती साधना पत्नी देवी शंकर नि0 ग्राम मछली गांव नानकार थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना मनकापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-435/20, धारा 498ए.304बी0 भादवि व 3/4 डी0पी0एकट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

आज दिनांक 21.12.2020 को थाना मनकापुर पुलिस ने दहेज हत्या के मुकदमें में वांछित चल रही आरोपी अभियुक्ता श्रीमती साधना को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

जालसाजी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को० नगर पुलिस ने जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त दुर्गेश कुमार पाण्डेय पुत्र रमेश चन्द्र पाण्डेय नि० गुलाम पुरवा मौजा कपूरपुर थाना को० नगर जनपद गोण्डा को थाना को० नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०-७९५ / १८, धारा 419.420.467.468.471 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने फर्जी एन०जी०ओ० वैकंसी निकाल कर वादी राज कमल श्रीवास्तव नि० रामनाथ श्रीवास्तव नि० पोर्टगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा को नौकरी दिलाने के बहाने 20 लाख रुपये लेकर फर्जी नियुक्तिपत्र दे दिया था। जिसके सम्बन्ध वादी द्वारा थाना को० नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को० नगर पुलिस ने वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना को०नगर ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. नवरेज अली उर्फ कल्लू कबाड़ी पुत्र जुम्मन अली नि० महाराजगंज थाना को०नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-९९९ / २०, धारा ८ / २०, एन०डी०पी०एस० एकट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 600 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 21.12.2020 थाना को० नगर के उ०नि० करुणाकर पाण्डेय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को रानीबाजार रेलवे कासिंग के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० एकट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० करुणाकर पाण्डेय।

02. हेड का० रविन्द्र नरायन।